संख्या- /X-2-2014-12(27)/2012

प्रेषक,

मनोज चन्द्रन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 10 फरवरी, 2014

विषयः- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के राज्य सेक्टर के आयोजनागत पक्ष की राजस्व पक्ष की योजना "वनों की अग्नि से सुरक्षा" के राजस्व पक्ष में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तरखण्ड के प0सं0 नि-853/3-5(व0अ0सु0) दिनांक 23 नवम्बर 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष की योजना **"वनों की अग्नि से सुरक्षा"** में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित (प्रथम अनुपूरक अनुदान सहित) आय-व्ययक **₹ 2,24,52,000/- (₹ दो करोड़ चौबीस लाख बावन हजार मात्र)** के सापेक्ष शासनादेश सं0-1025/X-2-2013-12 (27)/2012 दि0 20 मई, 2013 द्वारा अवमुक्त धनराशि **₹ 1,45,20,000/- (₹ एक करोड़ पैतालीस लाख बीस हजार मात्र)** एवं शासनादेश सं0-4166/X-2-2013-12 (27)/2012 दि0 23 नवम्बर, 2013 द्वारा अवमुक्त धनराशि **₹ 36,30,000/- (₹ छत्तीस लाख तीस हजार मात्र)** अर्थात कुल निर्गत धनराशि **₹ 1,81,50,000/- (₹ एक करोड़ इक्यासी लाख पचास हजार मात्र)** के पश्चात् अवशेष कुल धनराशि **₹ 43,00,000/- (₹ तैतालीस लाख मात्र)** व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं :-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दि0 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश संख्या 413/XXVII(1)/2013 दि0 10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण/मासिक प्रगति विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुमोदित परिव्यय के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। साथ ही पूर्व अवमुक्त धनराशियों के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा इसके अतिरिकत योजना की प्रगति तथा उददेश्यों की पूर्ति संतोषजनक होने पर ही धनराशि निर्गत एवं व्यय की जायेगी।
3. आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट अनुपलब्ध होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
4. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
5. अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
6. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई/समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

क्रमशः.......2

7. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
10. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1402270089 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
11. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथावश्यकता अनुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1638/XXX-1-12(25)2011, दिनॉक 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।
12. आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
13. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति में अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय और यह सुनिश्चित किया जाये कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आंवटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 03- वनों की अग्नि से सुरक्षा हेतु निम्नलिखित सूची में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है:-

(धनराशि ₹ हजार में)

क्र0 सं0	लेखा शीर्षक/योजना का नाम	उपलब्ध आय-व्ययक				पूर्व निर्गत वित्तीय स्वीकृति	अवशेष आय-व्ययक	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति
		परिव्यय	मूल आय-व्ययक	प्रथम अनुपूरक अनुदान	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अनुदान सं0-27 2406-वानिकी और वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 03-00-वनों की अग्नि से सुरक्षा	180278						
	04-यात्रा व्यय		500	0	500	500	0	0
	13-टेलीफोन पर व्यय		1000	0	1000	1000	0	0
	14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय		1	0	1	1	1	0
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद		2000	0	2000	2000	0	0
	16-व्यवसायिक सेवा तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान		400	0	400	400	0	0
	18-प्रकाशन		500	0	500	500	0	0
	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय		100	0	100	100	0	0
	20-सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता		1	0	1	0	1	0
	25-लघु निर्माण		5000	500	5500	5000	500	500
	26-मशीन साज सज्जा /उपकरण एवं संयत्र		3300	800	4100	3300	800	800
	29-अनुरक्षण		3500	2500	6000	3500	2500	2500
	42-अन्य व्यय		1000	500	1500	1000	500	500
	44-प्रशिक्षण व्यय		500	0	500	500	0	0
	45-कम्प्यूटर हार्डवेयर /साफ्टवेयर का क्रय		250	0	250	250	0	0
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय		100	0	100	100	0	0
	योग	180278	18152	4300	22452	18150	4302	4300

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ तिरालिस लाख मात्र)

क्रमशः.....3

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दि0 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश संख्या 413/XXVII(1)/2013 दि0 10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

संलग्नक-यथोपरि।

365

संख्या- /X-2-2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव